संसदीय मुक्तता का घोषणापत्र

OpeningParliament.org

29 अगस्त 2012 तक संसदीय मुक्तता के घोषणापत्र को 53 देशों (और योरोपियन युनियन तथा लैटिन अमेरिका) के 76 संगठनों के सुझाव व समर्थन प्राप्त हुए हैं। समर्थक संगठनों की मुकम्मल सूची ***openingparliament.org/organizations*** पर उपलब्ध है।

OpeningParliament.org

openingparliament.org अपने देश की संसद और विधायी संस्थाओं पर निगरानी, सहयोग और मुक्तता के लिए सक्रिय नागर समाज संस्थाओं को एक साथ जोड़ने में सहयोग करता है। यह वेबसाइट संसदीय मुक्तता के घोषणा पत्र के लिए एक ठिकाने जैसा भी है जहां यह विस्तृत व्याख्या के साथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।

नैशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्युट, सनलाइट फाउण्डेशन, लैटिन अमरिकन नेटवर्क फॉर लेजिस्लेटिव ट्रान्सपरेंसी के संयुक्त पहल से openingparliament.org आरंभ हुआ, जिसे ओपन सोसायटी फाउण्डेशन्स तथा ओमिडयार नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। openingparliament.org तथा संसदीय मुक्तता का घोषणापत्र 30 अप्रैल से 2 मई 2012 तक हुए उस सम्मेलन का परिणाम है, जिसमें 38 देशों के संसदीय निगरानी के लिए कार्यरत् संगठनों ने एक मंच पर आकर संसदीय पारदर्शीता तथा संसदीय प्रदर्शन की निगरानी के लिए संसदीय सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं समुचित तौर–तरीकों के प्रोत्साहन की रणनीतियों की वकालत की। उस सम्मेलन को उपर्युक्त साझेदारों के अलावा नैशनल एन्डॉमेंट फॉर डेमोक्रेसी, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्युट तथा मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास का सहयोग प्राप्त था।

विभिन्न भाषाओं में इस घोषणापत्र के अनुवाद और प्रकाशन में सहयोग के लिए निम्नलिखित संस्थाओं का धन्यवादः

लैटिन अमरिकन नेटवर्क फॉर लेजिस्लेटिव ट्रान्सपरेंसी (स्पैनिश), नहवा अल–मुवाहतिनिया तथा रिगार्ड्स सिटयोन्स (फ्रेंच), कॉएलिशन फॉर डेमोक्रेसी एंड सिविल सोसायटी (रूसी), अल क्वेद सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज (अरबी)। इस दस्तवेज़ का लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जो रह गए हैं उनका जल्दी हो जाएगा। सभी भाषाओं में यह दस्तावेज़ openingparliament.org/declaration पर उपलब्ध है और जो बच गए हैं उन्हें भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

आवरणः फिल ब्रोंडेक

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया openingparliament.org/contact पर आएं।

संसदीय मुक्तता का यह घोषणापत्र सार्वजनिक दायरे में उपलब्ध है। कृपया इसके सृजक के तौर पर openingparliament.org का उल्लेख अवश्य करें।

संसदीय मुक्तता का घोषणापत्र

नीतिगत सार

उद्देश्य

संसदीय मुक्तता[1] का घोषणापत्र के माध्यम से नागर समाज निगरानी संस्थाएं (पीएमओ) राष्ट्रीय संसदों एवं उपराष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विधायी निकायों से और अधिक मुक्तता तथा संसदीय कामकाज में नागरिकों की भागीदारी की अपील है। संसदीय सूचनाओं को और अधिक नागरिक–सुलभ बनाने, संसदीय प्रक्रियाओं में सहभागिता के लिए नागरिकों के क्षमतावर्द्धन तथा संसदीय उत्तरदायित्व के प्रोत्साहन में पीएमओ की बढती भूमिका की सराहना की जा रही है। हालांकि, सरकार व संसदीय सूचना की व्यापक पहुंच की तरफदारी में पीएमओ की गहरी दिलचस्पी है, लेकिन पीएमओ यह भी चाहता है कि संसदीय सुधार के मद्देनजर दुनिया भर के संसदों के बीच आपस में ज्यादा से ज्यादा संवाद और आदान–प्रदान होना चाहिए।

इस घोषणापत्र का तात्पर्य सिर्फ गतिविधियां या एक्शन नहीं, बल्कि संसदों और पीएमओ के बीच संवाद का आधार तैयार करना है, जिससे सरकार और संसदीय मुक्तता को प्रोत्साहन मिले, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस मुक्तता से नागरिकों की भागीदारी बढे, प्रतिनिधि संस्थाएं और अधिक जिम्मेदार बने और अंततः एक कारगर लोकतंत्र बने।

इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय समुदाय द्वारा स्वीकृत विभिन्न पार्श्व दस्तावेजों के आधार पर तैयार हुए इस घोषणापत्र पर पीएमओ नेताओं के एक सम्मेलन में चर्चा हुई थी, जिसको नैशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्युट, सनलाइट फाउण्डेशन, लैटिन अमरिकन नेटवर्क फॉर लेजिस्लेटिव ट्रान्सपरेंसी, वाशिंगटन, डीसी ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। उक्त सम्मेलन को ओमिडयार नेटवर्क, ओपन सोसायटी फाउण्डेशन्स इंस्टीट्युट, नैशनल एन्डॉमेंट फॉर डेमोक्रेसी, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्युट तथा मैक्सिको में अमेरिकी दूतावास का सहयोग प्राप्त था। इस घोषणापत्र के नवीनीकृत संस्करण, जिसमें सम्मेलन के सहभागियों में व्याप्त सहमति परिलक्षित होती है, की ओपन लेजिस्लेटिव डेटा कॉन्फ्रेंस में समीक्षा की गई। रिगार्ड्स सिट्योएंस, सेंटर डट्युड्स योरोपीनेस डी साइन्सेज पो तथा मीडिया लैब साइन्सेज पो ने साथ मिल कर ओपन लेजिस्लेटिव डेटा कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6–7 जुलाई 2012 को पेरिस में किया था। लोगों की प्रतिक्रिया के लिए इसे 11 जून से 31 जुलाई तक ऑनलाइन रखा गया था। इस घोषणापत्र का अंतिम प्रारूप – जो अभी openingparliament.org पर उपलब्ध है – को 15 सितंबर 2012 को रोम में संपन्न हुए वर्ल्ड ई–पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस में लोकार्पित किया गया।

क्षेत्र

मुक्तता की संस्कृति को प्रोत्साहनः संसदीय सूचना आम जनमानस के लिए होती है। क़ानूनन निर्धारित सीमा के साथ संसदीय सूचना का दोबारा उपयोग किया जा सकता है या पुनर्प्रकाशित किया जा सकता है। संसद को चाहिए कि वह नागरिकों की समावेशी भागीदारी तथा एक स्वतंत्रत नागर समाज सुनिश्चित करने के तौर–तरीक़े ईजाद

[1]इस घोषणापत्र के बेहतरीन कार्यान्वयन और व्याख्या के जीवंत उदाहरणों के लिए देखें http://openingparliament/declaration

करे ताकि संसदीय मुक्तता की संस्कृति विकसित हो सके। संसद को यह भी चाहिए कि वह प्रभावी संसदीय निगरानी की व्यवस्था तय करे तथा इन अधिकारों की हिफ़ाज़त में सक्रिय भूमिका अदा करे। पार्लियमेंट को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के पास संसदीय सूचना पर हक़दारी का क़ानूनी विकल्प हो। यह संसद की सकारात्मक जिम्मेदारी बनती है कि वह संसदीय कार्य–व्यवहार के बारे में नागरिकों की समझदारी को बढावा दे तथा अन्य संसदों के साथ कार्य–व्यवहारों को साझा करे ताकि मुक्तता और पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिले। संसद को यह चाहिए कि वह पीएमओ के साथ मिल कर यह सुनिश्चित करे कि संसदीय सूचना पूर्ण, सटीक और सामयिक है।

संसदीय सूचना की पारदर्शिताः संसद को चाहिए कि वह ऐसी नीतियां अपनाए जिससे संसदीय सूचना का अधिक से अधिक प्रकाशन हो, और समय–समय पर उन नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए ताकि ईजाद किए गए अच्छे कार्य–व्यवहारों का लाभ लिया जा सके। संसदीय सूचना में संसद की भूमिका तथा कार्यों के बारे में जानकारी हो, साथ ही सदन में लाए जाने वाले विधान, होने वाले बदलावों, वोट, संसदीय एजेंडा व उसकी समय सारिणी, प्लेनरी के रिकॉर्ड एवं समितियों की कार्रवाहियां, ऐतिहासिक सूचना और तमाम वैसी सूचना जो संसदीय रिकॉर्ड का हिस्सा मानी जाती हैं, मसलन संसद के लिए या संसद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, इत्यादि शामिल हों। संसद को चाहिए वह संसद के प्रबंधन और प्रशासन, संसदीय स्टाफ तथा विस्तृत संसदीय बजट की जानकारी को सार्वजनिक करे। संसद सदस्यों की पृष्ठभूमि, गतिविधियों तथा उनके मुद्दों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए, यही नहीं, उन जानकारियों में ऐसी सूचना भी होनी चाहिए जिसके हवाले से नागरिक संबद्ध सूचनाओं के अक्षुण्णता, सत्यता तथा उससे जुड़े हितों की संभावित ख़तरों के बारे में निर्णय ले सकें।

संसदीय सूचना की सुगमताः संसद यह सुनिश्चित करे कि नागरिकों को प्रथम दृष्टया सूचना समेत प्रिंट, रेडियो, सीधा प्रसारण तथा मांग के अनुसार प्रसारण जैसे विविध माध्यमों से सूचना उपलब्ध हो और इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। नागरिकों के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे प्रत्यक्ष रूप से संसद देख–सुन सकें। हां, इसके लिए स्थान और सुरक्षा संबंधी सीमाओं को अवश्य में ध्यान में रखा जाए। नागरिकों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित और सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध दस्तावेज़ों को सुगम बनाया जाना चाहिए ताकि मीडिया और पर्यवक्षकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तमाम संसदीय सूचना विभिन्न राष्ट्रीय और कामकाजी भाषाओं में, भाषिक माध्यमों, जैसे सरल भाषा में सारांश इत्यादि के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसदीय सूचना नागरिकों के एक व्यापक दायरे को समझ आए।

संसदीय सूचना का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणः संसदीय सूचनाओं को मुक्त और संरचनात्मक स्वरूपों में ऑनलाइन किया जाना चाहिए ताकि नागरिक विभिन्न तकनीकीगत तौर–तरीक़ों के माध्यम से उन सूचनाओं का विश्लेषण और पुनर्प्रयोग कर सकें। संसदीय सूचना को संबद्ध सूचना के साथ इस प्रकार जोड़ा जाए कि उसे आसानी से ढूंढा और डाउनलोड किया जा सके। ऐसा करने से अन्वेषण और अनुसंधान में नये मीडिया तकनीकों को बढावा मिलेगा। संसदीय वेबसाइट वैसे समाजों में भी नागरिकों के संप्रेषण को मदद मिलती है, जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित है। ऐसे समाजों में मध्यस्थों को इंटरनेट से सूचना मिल जाती है जो फिर आगे नागरिकों के साथ उसे साझा करते हैं। संसदीय वेबसाइटों को चाहिए कि वह नागरिकों से जुड़ने के लिए वैसे उपकरणों या उपायों का उपयोग करें जिससे आपसी संवाद को बल मिलता है। इसके लिए 'एलर्ट' या मोबाइल सेवा की व्यवस्था की जा सकती है। संसद को चाहिए कि वह ग़ैर–स्वामित्वकारी आरूपों तथा मुफ्त और मुक्त स्त्रोतों युक्त सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहन दे। यह संसद का उत्तरदायित्व है कि वह संसदीय सूचना का उपयोग करने वालों को निजता सुनिश्चित करते हुए, सूचना की तकनीकीगत उपयोगिता भी सुनिश्चित करे।

संसदीय मुक्तता का घोषणापत्र:

प्रस्तावना

चूंकि समावेशी, उत्तरदायी, सुगम, प्रतिक्रियाशील संसद और विधायी संस्थाएं लोकतांत्रीकरण के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये क़ानून बनाने, नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के साथ–साथ कार्यवाहक नीति कार्यान्वयन व प्रदर्शन पर निगाह रखती हैं तथा नागरिक हितों का प्रतिबिंबन करती है।

चूंकि संसदीय मुक्तता नागरिकों को संसद की कार्रवाहियों के बारे में जागरूक करता है, नागरिकों को इतना सशक्त बनाता है कि वे विधायी प्रक्रिया में शामिल हो सकें, नागरिकों को इतना जागरूक बनाता है कि वह सांसदों से सवाल–ज़वाब कर सके और यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक–हित का प्रतिनिधित्व हो।

चूंकि शासन में नागरिकों की भागीदारी एवं संसदीय सूचना की सुगमता मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूपों[2] तथा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय समुदाय[3] द्वारा अंगीकृत लोकतांत्रिक संसदों के अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों व कसौटियोंके द्वारा स्थापित की गई हैं, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऑनलाईन[4] माध्यम द्वारा संसदीय मुक्तता के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की है।

चूंकि डिजिटल युग की आक्रामकता ने संसदीय सूचना के सार्वजनिक उपयोग के संदर्भ और अच्छे अभिशासन के नागरिकों की उम्मीद को बदल डाला है, हालांकि उभरती तकनीकी ने साझे ज्ञान की रचना तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र को सूचित करने जैसे महान वायदे के साथ संसदीय सूचना के पुनर्उपयोग एवं विश्लेषण को सशक्त बनाया है।

हालांकि परंपराओं, अनुभवों, संसाधनों तथा प्रसंगों में विभिन्नता मुक्तता में सुधार के संसदीय प्रस्ताव को प्रभावित कर सकती है, लेकिन वे संसदीय मुक्तता एवं पारदर्शिता के महत्त्व को कम करके नहीं आंक रहे हैं।

चूंकि संसदीय मुक्तता के पूरक के तौर व्यापक स्तर पर सरकार की मुक्तता भी ज़रूरी है, हालांकि बहुत सी सरकारें और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं उत्तरदायी शासन के लिए मुक्त साझेदारी, जैसी निगरानी योग्य प्रतिबद्धता जैसे पहल के मार्फत नागर समाज संस्थाओं के साथ साझेदारी करती हैं।

---

[2] मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र की धारा 19 और 21 तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के नियम पत्र की धारा 19 और 25 समेत।

[3] इन नियमों और मानकों में इन्टर पार्लियामेंटरी युनियन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी असोशिएशन, साउदर्न अफ्रिकन डेवलपमेंट कम्युनिटी पार्लियामेंटरी फोरम, असेम्बली पार्लिमेंटायर डी ला फ्रैंकाफोनी, तथा पार्लिमेंटरी कन्फेडरेशन ऑफ द अमरिकाज़ द्वारा तैयार और अपनाए जाने वाले दस्तावेज भी शामिल हैं।

[4] इंटर पार्लियामेंटरी युनियन, तथा युनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमिक एंड सोशल अफेयर्स, गाइडलाइन्स फॉर पार्लियामेंटरी वेबसाइट्स, 2009।

चूंकि बड़ी संख्या में नागर समाज संसदीय निगरानी एवं सहयोगी संस्थाएं, संसदों के लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के सुदृढीकरण में मानीखेज़ एवं सहयोगपूर्ण भूमिका अदा करना चाहते हैं। अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए वे चाहते हैं कि उन्हें आसानी से संसदीय सूचना प्राप्त हो सके। हालांकि, संसदों और संसदीय निगरानी संस्थाओं के बीच साझेदारी की अनेक मिसालें हैं, जिनसे संसदीय सूचना की बृहत्तर मुक्तता के प्रयासों का पता लग सकता है।

इसलिए, पीएमओ समुदाय[5] के सदस्यों ने संसदीय मुक्तता के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है तथा इसे और अधिक विकासित करने की प्रतिज्ञा ली हैः

मुक्तता की संस्कृति को प्रोत्साहन

1. संसदीय सूचना पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्वीकार्यता

संसदीय सूचना जनता से संबंधित होती है, नागरिकों को यह इजाजत होनी चाहिए कि वह संसदीय सूचना का पूर्ण या आंशिक उपयोग कर सकें, पुनर्प्रकाशित कर सकें। जो भी अपवाद तय करना हो या पाबंदी लगानी हो, उसके लिए छोटा–मोटा क़ानून बना दें।

2. कानून के जरिए मुक्तता की संस्कृति को प्रोत्साहन

क़ानून और आंतरिक प्रणाली के नियम व आचार–संहिता का प्रतिपादन संसद का कर्त्तव्य है। इससे वैसे परिवेश को सह मिलती है जो सरकार और संसदीय सूचना पर जनता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, इससे मुक्त सरकार की संस्कषति को प्रोत्साहिन मिलता है, राजनीति वित्त के मामले में पादर्शिता को बढावा मिलता है, अभिव्यक्ति और संयोजन की स्वतंत्रता की हिफ़ाज़त को बल मिलता है तथा विधायी प्रक्रिया में नागर समाज एवं नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

3. निगरानी के द्वारा मुक्तता की संस्कृति की हिफ़ाज़त

निगरानी संबंधी अपने कार्य से संसद ऐसे क़ानूनों को सुनिश्चित करे जिससे शासन की मुक्तता का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके, सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करे, और मुक्तता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्वयं भी काम कर सके।

4. नागरिक शिक्षा को प्रोत्साहन

संसद की नियमावली, कार्य, कार्यप्रणाली तथा संसद व संसद–सदस्यों की भूमिका के बारे में व्यापक सूचना उपलब्ध करवा कर जनता में, विशेष कर युवाओं में नागरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना संसद की महत्त्वपूर्ण ज़वाबदेही है।

---

[5] घोषणापत्र के उद्देश्यों को समृद्ध करने और उसको सहयोग करने वाले संसदीय निगरानी संगठनों की मुकम्मल और ताज़ातरीन सूची के लिए देखेंः http://openingparliament/declaration

5. **नागरिक एवं नागर समाज के साथ समन्वयः**

यह संसद का कर्त्तव्य है कि वह संसदीय प्रक्रियाओं और निर्णयकारी कार्रवाहियों में, नागरिकोंव नागर समाज को बग़ैर किसी भेदभाव के शामिल करे। इससे जनहितों का प्रभावी प्रतिनिधित्व होगा और सरकार के सामने याचिका लगाने के जनता का अधिकार भी प्रभावी हो सकेगा।

6. **एक स्वतंत्र नागर समाज की सुरक्षा**

ऐसे उपायों को प्रोत्साहित करना संसद का कर्त्तव्य है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नागर समाज स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाए और उस पर किसी प्रकार का बंधन न हो।

7. **प्रभावी संसदीय निगरानी**

संसद कोयह भली–भांति समझना चाहिए कि संसद और सांसदों की निगरानी करना नागर समाज, मीडिया तथा सर्वसाधारण का अधिकार और कर्त्तव्य है। संसद को चिहिए कि वह संसद की निगरानी करने वाली जनता और नागर समाज संस्थाओं के साथ समुचित विचार–विमर्श करे ताकि प्रभावी तरीक़े से निगरानी हो सके और सूचना प्राप्त करने में किसी प्रकार के अवरोध का सामना न करना पड़े।

8. **अच्छे कार्यव्यवहारों का आदान–प्रदान**

अच्छे कार्यव्यवहारों के लिए संसद अन्तराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संसदों एवं नागर समाज संस्थाओं के साथ आदान–प्रदान करे। इससे संसदीय मुक्तता में बढोतरी होगी, संसदीय सूचना में पारदर्शिता को प्रोत्साहन मिलेगा, सूचना और संप्रेषण तकनीकी के उपयोग को बढावा मिलेगा तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुपालन को बल मिलेगा।

9. **क़ानूनी आश्रय की सुनिश्चितता**

संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों पर्याप्त क़ानूनी और न्यायिक सहारा मिले ताकि यदि सूचना–प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, तो वे उससे निबट सकें।

10. **सम्पूर्ण सूचना का प्रसार**

जहां तक मुमकिन हो, नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना सम्पूर्ण और सटीक होनी चाहिए। उसमें संसदीय गतिविधियां पूरी तरह प्रदर्शित होनी चाहिए। बेहद ज़रूरी परिस्थिति में कुछ अपवाद हो सकते हैं।

11. **सामयिक सूचना**

जनता को समय पर सूचना उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। नियमानुसार वास्तविक समय में सूचना उपलब्ध करवायी जाए। यदि ऐसा करना मुमकिन न हो, तो आंतरिक रूप से सूचना उपलब्ध होते ही तुरंत उसे जनता को मुहैया करायी जाए।

12. सटीक सूचना की सुनिष्चितताः

संसद यह सुनिश्चित करे कि आधिकारिक रिकॉर्ड संभाल कर रखा गया है। साथ ही संसद को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जारी की जाने वाली सूचना सटीक है।

संसदीय सूचना की पारदर्शिता

13. संसदीय पारदर्षिता के लिए नीति–निर्धारण

संसद ऐसी नीतियां अपनाए जिससे संसदीय सूचनाओं का प्रसार और अधिक सक्रियतापूर्ण ढंग से हो सके। इसके अंतर्गत उन स्वरूपों को भी शामिल किया जाए जिसके अनुरूप सूचनाओं का प्रकाश किया जाता है। संसदीय पारदर्शिता संबंधी नीतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, और उसमें संबंधित नीतियों की सामयिक समीक्षा के तौर–तरीक़ों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि तकनीकी नवाचार का लाभ लिया जा सके और अच्छी कार्य–प्रणाली विकसित की जा सके। जहां की संसद के पासतत्काल विस्तृत सूचना प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है वहां वह नागर समाज संस्थाओं के साथ साझेदारी विकसित कर सकती है ताकि संसदीय सूचना की व्यापक सार्वजनिक पहुंच संभव हो सके।

14. संसद की भूमिका और कार्यव्यवहारों के बारे में सूचना

संसद को चाहिए वह अपनी संवैधानिक भूमिका, संरचना, कार्य–व्यवहारों, आंतरिक नियमों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं कार्य–प्रवाह के बारे में सूचना उपलब्ध करवाए। संसदीय समितियों के बारे में भी ऐसी सूचनाएं सार्वजनिक की जानी चाहिए।

15. संसद के सदस्यों के बारे में सूचना

संसद को चाहिए कि वह समय–समय अपने सदस्यों से संबंधित सूचनाएं जारी करे, ताकि आम नागरिक उनकी विश्वसनीयता, पार्टी, जनादेश, संसद में उनकी भूमिका, उपस्थिति तथा व्यक्तिगत कर्मचारियों की पहचान समेत उन तमाम जानकारियों से रू–ब–रू हो सके जो सांसद सार्वजनिक करना चाहते हैं। संसद और निर्वाचन क्षेत्र स्थित सांसदों के कार्यालयों के संपर्क सूत्रों की जानकारी भी सार्वजनिक होनी चाहिए।

16. संसदीय कर्मचारियों एवं प्रशासन के बारे में सूचना

संसद को चाहिए कि वह अपने प्रशासनिक कार्य–व्यवहारों तथा संसदीय प्रक्रियाओं व कार्रवाहियों के संचालन व प्रबंधन में शामिल कर्मियों की संरचना से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाए। सूचना मुहैया कराने वाले स्टाफ के संपर्क का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

17. नागरिकों को संसदीय एजेंडे की सूचना

सत्र के कैलेंडर, वोट के अनुसूचन, कार्रवाहियों के क्रम, समितियों की सुनवाइयों के अनुरूपन समेत संसदीय कार्य–व्यवहारों के अनुसूचन संबंधी समस्त सूचनाजनता को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

18. विधान/कानूनों के मसौदों पर नागरिकों से रायशुमारी

कानून के मसविदों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए तथा परिचय के साथ इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए। यहमानते हुए कि नागरिकों को इसके बारे में पूरी तरह अवगत होना ज़रूरी है, और वे विचाराधीन मसौदों पर अपनी राय दे सकते हैं, संसद को चाहिए कि वह शुरुआती विश्लेषणों एवं पूर्व–पीठिकाओं की जानकारी को सार्वजनिक करे। ऐसा करने से प्रस्तावित क़ानूनों के बारे में होने वाली नीतिगत–चर्चाएं व्यापक बनेंगी।

19. समिति की कार्रवाहियों के रिकॉर्ड का प्रकाशन

जनसुनवाइयों में गवाहों के बयान, समिति की गतिविधियों के ट्रांस्क्रिप्ट्स व रिकॉर्ड समेत समस्त तैयार और हासिल किए गए दस्तावेज़ों समेत समिति की कार्रवाहियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

20. संसदीय मतों की रिकॉर्डिंग

अपने मतदाताओं के मत–व्यवहार के प्रति सदस्यों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए, संसद को चाहिए कि वह प्लेनरियों में स्वर–मतों को न्यूनतम करे और ज्यादातर मामलों में रॉल कॉल या इलेक्ट्रॉनिक मतदान को इस्तेमाल करे। इससे प्लेनरियों और समितियों में सदस्यों के व्यक्तिगत मत–व्यवहार के रिकॉर्ड रखने और उसे सार्वजनिक करने में सुविधा होगी। इसी प्रकार, संसद को ऐवजी मतदान को भी कम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे पादर्शिता और लोकतांत्रिक ज़वाबदेही के मानकों का अवमूल्यन न हो।

21. प्लेनरी की कार्रवाहियों का प्रकाशन

संसद अपनी प्लेनरी–कार्रवाहियों को इस प्रकार रिकॉर्ड करे और उसे प्रकाशित करे कि वह आसानी से उपलब्ध हो। प्राथमिक रूप से ऑडियो–विडियो स्वरूप में रिकॉर्ड कर उसे स्थायी तौर पर ऑनलाईन किया जाए। उस रिकॉर्ड की प्रतिलिपि भी सेहज कर रखी जाए।

22. संसद द्वारा तैयार किए गए या संसद को उपलब्ध कराए गए रिपोर्टों का प्रकाशन

संसद द्वारा तैयार किए सभी दस्तावेज़ या जिन दस्तावेज़ों की संसद, या इसके कार्यालयों या समितियोंको ज़रूरत है या जिनके लिए संसद द्वारा अर्जी दी गई है : क़ानून द्वारा परिभाषित की गई किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर, उन सभी दस्तावेज़ों को प्रकाशित किया जाए और सार्वजनिक किया जाए।

23. बजट और ख़र्च संबंधी सूचना

संसद की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पिछले, वर्तमान और अनुमानित राजस्व और ख़र्च समेत राष्ट्रीय बजट और सार्वजनिक ख़र्चे की मुकम्मल, विस्तृत और आसानी से समझ में आने योग्य जानकारी सार्वजनिक करे। इसी प्रकार संसद की यह भी ज़िम्मेदारी है कि वह अपना बजट भी सार्वजनिक करे, जिसमें अपने बजट के कार्यान्वयन और निविदाओं एवं संविदाओं की भी जानकारी हो। जो भी सूचना उपलब्ध कराई जाए वो मुकम्मल हो और उसमें सतत वर्गीकरण हो, और जो सरल भाषा में सार समझाते हुए। और जिसके साथ सरल भाषा में लिखित सार, रिपोर्ट या विवरण हो। इससे नागरिकों की समझदारी में सुविधा होगी।

24. संपत्ति का खुलासा और सदस्यों की अखंडता की हिफ़ाज़त

संसद को चाहिए कि वह अपने सदस्यों के बारे में पर्याप्त सूचना सार्वजनिक करे, ताकि कोई भी नागरिक किसी सदस्य की अखंडता या ईमानदारी पर सोच–विचार कर निर्णय दें। सदस्यों द्वारा अपने संपत्ति के बारे में किए गए खुलासे के साथ–साथ,उनके संसदीय व्यय, संसद के अतिरिक्त ब्याज, लाभांश, किराया–भुगतान समेत अन्य स्त्रोतों से होने वाली उनकी आय तथा वस्तु के रूप में उनको मिलने वाले लाभ की जानाकरी अवश्य सार्वजनिक की जाए।

25. अनैतिक आचरण और हितों की संभावित टकराहट

वास्तविक या सोच के आधार पर होने वाले हितों की टकराहट और अनैतिक उल्लंघनों से रक्षा के लिए ज़रूरी सूचनाओं का खुलासा हो सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संसद को स्पष्ट रूप से क़ानून परिभाषित करना चाहिए। और उस उस क़ानून के दायरे में लॉबिंग करने वालों और दवाब समूहों के साथ सदस्यों की होने वाली बातचीत की जानकारी भी शामिल की जानी चाहिए।

26. ऐतिहासिक सूचनाओं की उपलब्धता

संसद केपूर्ववर्ती सत्रों से संबंधित सूचनाओं का डिजिटलीकरण किया जाना चाहिए और नागरिकों को यह बिना किसी क़ानूनी अड़चन, निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अगर कोई संसद अपनी सूचनाओं के डिजिटलीकरण की स्थिति में नहीं है, तो वह उन सूचनाओं को बिना किसी क़ानूनी अड़चन के सर्वसुलभ बनाने के लिए किसी बाहरी संस्था के साथ जुड़ सकती है।संसदीय पुस्तकालय को अपने सदस्यों और जनता के लिए खोल कर संसद अपने इतिहास से रू–ब–रू होने का अवसर प्रदान कर सकती है।

संसदीय सूचना की सुगम्यता

27. सूचना के विभिन्न माध्यम

संसद को प्रथम दृष्टया स्त्रोत के अतिरिक्त प्रिंट, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण तथा इंटरनेट एवं अन्य मोबाईल तकनीकों जैसे माध्यमों से अपने कार्य की सूचना प्रदान करनी चाहिए।

28. भौतिक गम्यताः

स्थान और सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी सीमाएं अगर इजाजत देती है, तो संसद और इसके सत्रों तक आम नागरिकों की पहुंच होनी चाहिए अर्थात् आम नागरिक इन सत्रों के अवलोकन कर पाए।

29. मीडिया की सुगम्यता

संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मीडिया और स्वतंत्र अवलोकनकर्ताओं को संसद की कार्रवाहियों को कवर का अवसर मिले। स्पष्ट तौर पर परिभाषित इसकी कसौटी और प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक सूचना उपलब्ध होनी चाहिए।

30. सीधा प्रसारण तथा मांग के आधार पर प्रसारण और निरंतरण

इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि जनता वास्तविक समय में ही संसदीय कार्रवाही का अनुभव कर सके। इसके साथ ही पिछली संग्रहित कार्रवाहियों को भी उन तक रेडियो, टेलीविज़न और इन्टरनेट के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

31. समूचे देश में सूचना की सुगमता

जहां तक मुमकिन हो, संसद की सूचनाओं को भौगोलिक दायरों से आज़ाद रखना चाहिए। हालांकि इंटरनेट माध्यम के द्वारा सूचना–प्रसारण से भौगोलिक सीमा का बंधन काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन वैसे देशों में जहां इंटरनेट का नेटवर्क या इसका उपयोग सीमित है, वहां संसदीय सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाना चाहिए।

32. सरल भाषा का प्रयोग

संसद को यह सुनिश्चित करना होगा कि क़ानूनी या तकनीकी सूचना ग्रहण करने में जनता के लिए अवरोध बन कर खड़ी न हो जाए। हालांकि, यह सच है कि क़ानून लिखने के लिए ख़ास भाषा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए संसद को चाहिए कि वह संसदीय सूचनाओं का सार सरल भाषा में सर्वसुलभ करवाए तथा अन्य ऐसे प्रयास करे, जिससे वह सूचना, विभिन्न तबक़ों और दक्षताओं वाले नागरिकों के लिए पठनीय और ग्रहनीय बन सके।

33. बहु राष्ट्रीय और कामकाजी भाषा

जहां का संविधान या संसदीय नियम, बहुत सी भाषाओं में संसद में कामकाज की इजाजत देता है, वहां के संसद की कार्रवाही के साथ–साथ विभिन्न भाषाओं में उसके प्रस्तुतीकरण तथा रिकॉर्डों के अनुवाद की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए।

34. निःशुल्क सूचना

नागरिकों को संसदीय सूचना बिना किसी बंधन के, निःशुल्क उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उनसे इसके पुनईस्तेमाल और इसे साझा करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं ली जानी चाहिए।

संसदीय सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण

35. मुक्त और संरचनात्मक रूप में सूचना–संयोजनः

संसदीय सूचना को मुक्त और संरचनात्मक रूप से संयोजित और जारी किया जाना चाहिए, मिसाल के तौर XML स्वरूप में संयोजित सूचना को कम्प्यूटर पर देखना और पढना आसान हो सकता है। इसके माध्यम से आम नागरिक, नागर समाज, निजी क्षेत्र और सरकार संसदीय सूचना का विश्लेषण और पुनर्उपयोग कर सकेंगे।

36. तकनीकी की उपयोगिता को प्रोत्साहनः

संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसदीय सूचना की तकनीकी उपयोगिता बढे। इसके लिए संसद ऑनलाईन डेटाबेस या ऐसे किसी साधन के उपयोग का स्पष्ट निर्देश जारी करे जिससे लोग संसद की वेबसाइट से संसदीय सूचना हासिल कर सके। एक हद तक संसद उपयोगकर्ता के लिहाज़ से सुविधाजनक स्थिति मुहैया करता है लेकिन इसे उपयोग में और अधिक आसान बनाने के लिए अच्छे–अच्छे तौर–तरीक़े विकसित करने की ज़रूरत है।

37. नागरिकों की निजता की सुरक्षाः

संसद के वेबसाइटों पर एक स्पष्ट और संक्षिप्त निजता नीति होनी चाहिए, ताकि वेबसाइट का उपयोग करने वालों को यह पता चला कि उनकी व्यक्तिगत सूचना का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। संसद ऐसे किसी पंजियन या सदस्यता की व्यवस्था नहीं करेगी जिससे संसद की वेबसाइटों से सूचना प्राप्त करने में लोगों को परेशानी हो। बिना सहमति के वेबसाइटों के उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत पहचान खोजने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए।

38. ग़ैरस्वामित्वीय स्वरूप और मुक्त स्त्रोत वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग

डिजिटल सूचना को संसद प्राथमिक तौर पर, गैरस्वामित्वीय और मुक्त स्वरूपों में उपलब्ध करवाए और मुक्त स्त्रोत वाले सॉफ्टवेयरों का उपयोग करे।

39. पुनर्उपयोग के लिए डाउनलोड की इजाजत

संसदीय सूचना अच्छी तादाद में और, अच्छी तरह संचित स्वरूप में सूचना आसानी से डाउनलोड होजाए, ताकि आसानी से उसका पुनर्उपयोग हो सके।

40. संसदीय वेबसाइटों का रख–रखाव

उन देशों में भी जहां इंटरनेट का उपयोग सीमित है, एक मुकम्मल संसदीय वेबसाइट का रख–रखाव और नियमित अद्यतीकरण, मौजूदा आधुनिक और इंटरनेटीय दौर में, संसदीय मुक्तता का एक अहम पहलू है। संसद को यह सुनिश्चित करना होगा कि संसदीय सूचना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में उपलब्ध हो। संसद को ऑनलाइन प्रसारण को संप्रेषण का ज़रूरी माध्यम मानना होगा।

41. ढूंढने के आसान और टिकाऊ पद्धतियों का उपयोग

संसदीय वेवसाइट परनागरिकों को वांछित सूचना ढूंढने में आसानीहो, इसे मिल जाए, संसद को इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक डेटाबेस तैयार करके संसद समुचित मेटाडेटाबेस के उपयोग के द्वारा साधारण और जटिल खोज को सुगम बना सकती है। सूचना एक ऐसे ठिकाने पर उपलब्ध होना चाहिए जो स्थायी हो, मिसाल के तौर पर वेबपेज पर एक स्थायी URL।

42. लिंकिंग से जुड़ी सूचना

संसद को चाहिए कि वह प्रासंगिक सूचना ढूंढने की नागरिकों की क्षमता में सुधार करे। इसके लिए वह संसदीय सूचना को अन्य सूचनाओं के साथ, मसलन, किसी बिल से जड़ी किसी ऐतिहासिक सूचना को पुराने क़ानून, प्रासंगिक समिति की रिपोर्टों, सधे हुए साक्ष्यो, प्रायोजित सुधारों, इत्यादि जैसे वैसी सूचनाओं के साथ जोड़े जो किसी प्रासंगिक क़ानून पर ससंसदीय चर्चा के रिकॉर्ड से संबंधित है।

43. अलर्ट सेवाओं का उपयोग

जहां मुमकिन हो पाए, वहां संसद कुछ खास संसदीय गतिविधियों की सूचना प्राप्ति हेतू नागरिकों के लिए अलर्ट सेवा आरंभ करे। नागरिक अलर्ट सेवा की सदस्यता ग्रहण कर मोबाईल, ई मेल, इत्यादि माध्यमों से संबंधित सूचना हासिल कर सकते हैं।

44. दो तरफ़ा संप्रेषण

संसद को ऐसे इंटरैक्टिव तकनीकों और तौर–तरीक़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आम नागरिकों को महत्त्वपूर्ण संसदीय प्रक्रियाओं एवं क़ानूनी उपक्रमों पर अपनी राय देने में सुविधा हो, तथा संसद सदस्यों और संसदीय स्टाफ के साथ संवाद करने में उन्हें आसानी हो।

Hindi translation provided by:
Centre for Legislative Research and Advocacy
New Delhi, India.

OpeningParliament.org